भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 5438**

उत्तर देने की तारीख 03.04.2025

**जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत निधि का आवंटन**

**5438. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019-20 से अब तक देश में मत्स्यपालन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए जनजातीय उप-योजना घटक के अंतर्गत आवंटित निधि का आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2020-21 में आन्ध्र प्रदेश हेतु निधि का आवंटन नहीं किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में जनजातीय लोगों की संख्या अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है और जनजातीय उप-योजना घटक के अंतर्गत निधि के उपयोग के लिए आग्रह किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 2020-21 में सरकार को आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से उक्त घटक के अंतर्गत निधि के उपयोग के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) निधि का आवंटन न किए जाने के कारण, यदि कोई हों, तो उसका ब्यौरा क्या हैं?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

**(क) से (ख)** मत्स्य पालन विभाग द्वारा 2019-20 से अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उपयोजना/विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के अंतर्गत आवंटित निधियों का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। डीएपीएसटी के अंतर्गत 2020-21 में मत्स्य पालन विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश को 655.38 लाख रुपये जारी किए गए।

**(ग)** 2011 की जनगणना के अनुसार, आंध्र प्रदेश की कुल जनसंख्या 4,93,86,799 है, जिसमें से 26,31,145 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जो राज्य की जनसंख्या का लगभग 5.3% है।

**(घ)** जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। पिछले चार वर्षों के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश को जारी की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

मंत्रालय नियमित रूप से राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार (संवाद) करता है ताकि उन्हें जारी की गई निधियों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने, योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करता है।

**(ङ) और (च)** 2020-21 में आंध्र प्रदेश को डीएपीएसटी निधि जारी की गई थी।

**"जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत निधि का आवंटन" के संबंध में डॉ. गुम्मा तनुजा रानी द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 03.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5438 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक ।**

| मत्स्य पालन विभाग द्वारा टीएसपी के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई धनराशि | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (रु. लाख में) |
| | | नीली क्रांति | प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना | | | | |
| क्रमांक | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **2023-24** | **2024-25** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 0 | 40 | 21.8 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **आंध्र प्रदेश** | **46.44** | **655.38** | **27.29** | **0** | **205** | **300** |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 230.24 | 0 | 2442.38 | 1237.5 | 1621.14 |
| 4 | असम | 0 | 219.88 | 653.95 | 471.52 | 793.29 | 750 |
| 5 | बिहार | 0 | 203.78 | 32 | 0 | 173.74 | 200 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 388.08 | 623.02 | 727.35 | 1242.32 | 1865.41 | 1500 |
| 7 | दमन और दीव | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | दिल्ली | 0 | 55.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | गोवा | 0 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | गुजरात | 0 | 71.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | हरियाणा | 64.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 1.79 | 169.03 | 78.21 | 149.28 | 46.76 | 0 |
| 13 | जम्मू एवं कश्मीर | 0 | 344.85 | 149.08 | 38.62 | 18.88 | 28.9 |
| 14 | झारखंड | 0 | 227.61 | 454.22 | 372.98 | 549.46 | 1000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | कर्नाटक | 0 | 251.51 | 1008.9 | 300 | 881.82 | 1000 |
| 16 | केरल | 0 | 68.8 | 95.9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | लक्षद्वीप | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 382.13 | 417.03 | 1379.6 | 235.78 | 1139.02 | 2558.99 |
| 19 | महाराष्ट्र | 98.8 | 200 | 0 | 300 | 714.62 | 0 |
| 20 | मणिपुर | 0 | 38.86 | 601.5 | 269.28 | 1000 | 700 |
| 21 | मेघालय | 12 | 311.55 | 485.84 | 659.07 | 1172 | 1000 |
| 22 | मिजोरम | 481.45 | 546.86 | 1329.81 | 694.93 | 717.76 | 1730.94 |
| 23 | नागालैंड | 2250.56 | 0 | 1340.22 | 1227.8 | 1665.63 | 1668.74 |
| 24 | ओडिशा | 0.21 | 244.35 | 396.05 | 200 | 69.89 | 300 |
| 25 | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | राजस्थान | 0 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 28 | सिक्किम | 27.22 | 152.55 | 218.63 | 522.52 | 0 | 150 |
| 29 | तमिलनाडु | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 30 | तेलंगाना | 0 | 67.5 | 217.29 | 0 | 0 | 300 |
| 31 | त्रिपुरा | 21.43 | 0 | 864.66 | 455.95 | 455.95 | 300 |
| 32 | उत्तर प्रदेश | 100.08 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | उत्तराखंड | 38.75 | 78.48 | 283.09 | 307.97 | 339.97 | 336.48 |
| 34 | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 208.22 | 0 | 0 |
| 35 | लद्दाख | 0 | 37.5 | 108 | 218.55 | 162.5 | 490.44 |
| 36 | एनएफडीबी/विविध | 688 | 616.6 | 370.18 | 0 | 7.5 | 834.85 |
| | कुल | **4601.20** | **6238.83** | **10843.57** | **10317.17** | **13216.70** | **17368.24** |

*मत्स्य पालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार

**“जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत निधि का आवंटन” के संबंध में डॉ. गुम्मा तनुजा रानी द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 03.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5438 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक II**

**पिछले चार वर्षों के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को जारी निधियां** (लाख रुपए में)

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23* | 2023-24* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | 50.26 | 162.29 | 183.01 | 92.19 |
| 2 | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के तहत अनुदान | 2055.55 | 2638.65 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | मैट्रिकोत्तर जनजातीय छात्रवृत्ति | 6039.35 | 8991.45 | 13356.50 | 11471.08 |
| 4 | मैट्रिक-पूर्व जनजातीय छात्रवृत्ति | 1433.81 | 3935.06 | 0.00 | 5700.16 |
| 5 | जनजातीय उप-योजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता /प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना | 4954.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) | 6199.12 | 14591.28 | 12600.57 | 10795.05 |
| 7 | जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता | 455.00 | 432.75 | 219.13 | 125.00 |

* अनंतिम

**पीएम जनमन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के संबंध में वित्तीय प्रगति का मंत्रालय-वार विवरण (14.01.2025 तक)**

(करोड़ रुपए में)

| ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी) | ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई) | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम) | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0) | शिक्षा मंत्रालय (एसएसए) | एमओपी (आरडीएसएस) | एमएनआरई | एमओसी (डीओटी-यूएसओएफ) | जनजातीय कार्य मंत्रालय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | एमपीसी | वीडीवीके |
| 44.33 | 280.53 | 40.31 | 43.44 | 18.85 | 88.71 | 8.38 | 94.50 | 14.97 | 3.105 |

*संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार

*****